BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA NO 753/2023

IN THE MATTER OF:

DR. RAJESH BAHUGUNA …COMPLAINANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS …RESPONDENTS

INDEX

S.no	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit on behalf od the District Magistrate, Dehradun in compliance of the order dated 28.03.2025.	1-5
2.	Annexure A Copy of the order dated 28.03.2025	6
3.	Annexure B Copy of the report by Sub-divisional Magistrate, Dehradun along with Nazri Map and Khasra records.	7-19
4.	Annexure C Copy of the letter dated 29.07.2025.	20-23

Dated 30.07.2025

Filed by

Adv Anjali Rajput

Counsel for State of Uttarakhand

NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA NO 753/2023

IN THE MATTER OF:

Dr RAJESH BAHUGUNA ... COMPLAINANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 28.03.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

I Savin Bansal aged about 41 years S/o Shashi Bansal currently posted as District Magistrate, Dehradun, Government Of Uttarakhand do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. I say that I am posed as District Magistrate, Dehradun, Government of Uttarakhand impleaded as respondent in the instant application and duly competent to swear this affidavit and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case.
2. That the preset case came up for hearing on 28.03.2025 and the Hon'ble Tribunal was please to pass the following order:

"2. Learned Counsel further submits that response on behalf of respondent no.6-District Magistrate, Dehradun will be filed within one week.

3. List on 31.07.2025."

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No. 09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Dehradun.

That the copy of the order dated 28.03.2025 is annexed herewith as **Annexure A.**

3. It is submitted that in compliance of the above order the present affidavit is being filed.
4. That a report was sought from Sub District Magistrate, Dehradun and in its reply dated 27.03.2025 letter no 848/SPA- Report/ it is stated that

   a. Krishna Enclave located in Revenue Village Amwala Tarla, which is falls within Khasra No. 146, 147 to 133, 134, 135, the residents of the colony are requesting a road connecting to the main existing road of Tapovan Enclave.

   b. The residents of Krishna Enclave is displayed in green color in the attached Nazri map. The kutcha path used by the said population to reach the main road of Tapovan Enclave is shown in red color in the Nazri map. That the Kha Sa. No. is 120 mi. area 0.0200 ha and the said land is recorded as Jungle Sal (Category 5 (3).

   c. Private colony Krishna Enclave is covered with dense sal forest on three sides in the east, west and south directions bearing khasra no 102 Jha area 4.040 other barren (category 5 (3) D), 102 D. area 12.4180 ha is recorded as Reserve Forest, which is shown in yellow colour in the enclosed Nazri map. The said land is situated to the west of Khas. No. 120, which is being used as a road.

   d. The land being used as a road, in the east direction from Khas. No. 120, is Khas. No. 220 A, area 5.1530 ha, reserve forest, 220 D, area 1.4200 other barren, 220 T, area 2.8680, forest Sal and 220 D, area 1.730 ha. The land is recorded as a bush forest in revenue records,

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

which is shown in blue color on the map, in which evergreen forest of Sal species trees.

e. The land where residents of Krishna Enclave are demanding concrete road, the said land is currently running as a small footpath, the said footpath is covered with dense trees on both the sides, this land is fully owned by the Forest Department, any kind of road widening work/construction work on the said land is required to be done by the Forest Department as per rules.

That the copy of the report along with the Nazi Map and records of khasra is annexed herewith as **Annexure B (COLLY)**.

5. That in roprt. By the sub-district Magistrate vide letter no 1849/SPS/Inspection dated 29.07.25 stats that:

a. The area in question falls under Ladpur compartment number 4A0 (reserved forest area) of Raipur 1st beat of Raipur range of Mussoorie forest division, Mussoorie. A temporary unpaved footpath from Nalapani Tapovan road to Aamwala Tarla, the boundary of the said reserved forest area, already exists. The Google satellite image of the said place from 2025 to present of different time periods makes it clear that the unpaved road in question already existed. The unpaved road in question has been used for years by the local people for movement as well as by the forest personnel for forest fire protection/patrolling of forest and wildlife etc.

b. Krishna Enclave located in Revenue Village Aamwala Tarla which is situated in land Khasra no. 122 to 137 and 146, 147 the residents of the said colony are currently using the road running near Madhuvan Enclave located on Sahastradhara Marg for commuting. The settlement of the said Krishna Enclave is surrounded by dense

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Dehradun.

forest on three sides. The residents of the said colony use the said kutcha road for walking.

c. At present, the residents of the said Krishna Enclave are using the dirt track to reach the Tapovan Enclave Nalapani main road. That Khasra no. 120 has an area of 0.0200. It is recorded as Jungle Sal (Category 5-3) which is the property of the Forest Department.

d. The said Krishna Enclave is surrounded by dense forest on three sides i.e. east, west and south in which trees of saal species are standing. The said land is Khasra No. 102Jh/4.040. The other is barren (category 5-3D) and 102D/12.418. Which is recorded in the record as reserve forest. The said land is used as a footpath and is situated in the west and north direction of the land and Tapovan Enclave is adjacent to the Nalapani main road.

e. The land being used for the path, to the east of Khasra no. 120 is Khasra no. 220K having area 5.1530. Reserve forest, 220Gh having area 1.420. Other barren land and 220T having area 2.8680. Forest Saal and 220Da having area 1.730. The land is recorded as forest bush and to the west of the said footpath is Khasra No. 102Da having area 12.4180. This land is registered in the name of Reserve Forest. There is evergreen forest in all the above Khasra numbers in which Saal trees are standing.

f. No vehicular movement was found on the said kachi pagdandi and the forest department dug a ditch to close the road to prevent vehicular movement on the kachi pagdandi.

That the copy of the letter dated 29.07.2025 is annexed herewith as **Annexure C**

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No. 09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Dehradun.

6. That the present reply on behalf of the Divisional Forest Officer, Pithoragarh is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and kind consideration.

DEPONENT

District Magistrate
Dehradun.

Verification:

I deponent named above, do hereby verify and say that the contents mentioned in the present reply by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no [art of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Dehradun, Uttarakhand on this 30 day of July, 2025

Identified by

DEPONENT

District Magistrate
Dehradun.

affidavit is sworn before me by Savin Bansal
Is identified Shri Nidhi Vashist Adv
Dehradun on 30/7/2025

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No. 09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

Item No. 11 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 753/2023

Dr. Rajesh Bahuguna Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 28.03.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Dr. Rajesh Bahuguna, Applicant in Person (Through VC).
Respondent: Ms. Anjali Rajput, Adv. for the State of Uttarakhand.
Dr. Aman Rab & Mr. Devang Mishra, Advs. for R - 8 (Through VC).

ORDER

1. Learned Counsel appearing for State of Uttarakhand submits that she has filed response to the objections submitted by the applicant to the report of the joint committee dated 20.08.2024. She submits that since response has been filed after the working hours of the Tribunal on the previous working day, therefore, it has not come on record.

2. Learned Counsel further submits that response on behalf of respondent no.6-District Magistrate, Dehradun will be filed within one week.

3. List on 31.07.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 28, 2025
JG..

District Magistrate
Dehradun.

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।

E – Mail ID-sdm.deh@gmail.com -Phone -0135-2625511

संख्याः 848 /एसपीए–रिपोर्ट/ देहरादून दिनांकः 17 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, (सीलिंग)
कलेक्ट्रेट देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन कमांक 753/2023 डॉ राजेश बहुगुगणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0 362/ग्रा0सीलिंग–अनु0/2025 दिनांक 26 मार्च, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें उपरोक्त रिट याचिका में बिन्दु संख्या 01,02,03 में दी गयी आपत्ति दिनांक 30.1.2024 के कम में आपत्ति व फोटोग्राफ पर बिन्दुबार स्पष्ट आख्या दिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार सदर देहरादून से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम आमवाला तरला में स्थित कृष्णा एन्कलेव जो कि ख०सं० 146,147 से लेकर 133, 134, 135 में बसे हुए है, उक्त कॉलोनी वासी तपोवन एन्कलेव से जाने वाले मार्ग से जुडने हेतु रास्ते की मांग कर रहे है।

2– उक्त कृष्णा एन्कलेव के निवासीगण की आबादी संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है, उक्त आबादी तपोवन एन्कलेव वाले मुख्य मार्ग तक जाने के लिए जिस कच्ची पगडण्डी का प्रयोग करते है, वह नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी है। जिसका ख०सं० 120 मी० रकबा 0.0200 है० है, तथा उक्त भूमि जंगल साल (श्रेणी 5 (3) के रूप में दर्ज अभिलेख है।

3– उक्त कृष्णा एन्कलेव के तीन तरफ पूरब, पश्चिम व दक्षिण दिशा के साल प्रजाति के वृक्षो से आच्छादित घना जंगल है, जिसका ख०स० 102 झ रकबा 4.040 अन्य बंजर (श्रेणी 5 (3) ड), 102 ड. रकबा 12.4180 है० रिजर्व फारेस्ट के रूप में दर्ज है, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में धानी रंग से दर्शाया गया है। उक्त भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि ख०सं० 120 से पश्चिम दिशा में स्थित है।

4– रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि ख०सं० 120 से पूरब दिशा में ख०सं० 220 क रकबा 5. 1530 है० रिजर्व फारेस्ट 220 घ रकबा 1.4200 अन्य बंजर, 220ट रकबा 2.8680 जंगल साल व 220द रकबा 1.730 है० भूमि जंगल झाडी के रूप में दर्ज अभिलेख है, जो कि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है, जिसमें मौके पर सदाबहार जंगल साल प्रजाति के वृक्ष खडे है।

5– उक्त कृष्णा एन्कलेव जिस स्थान पर पुख्ता मार्ग खोले जाने की मांग कर रहे है, उक्त भूमि छोटी पगडन्डी के रूप में चल रही है, उक्त पगडण्डी दोनो ओर से घने वृक्षो से आच्छादित है, जिस पर वर्तमान समय में पूर्ण स्वामित्व वन विभाग का है, उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का रास्ता चौडीकरण का कार्य वन विभाग द्वारा नियम सम्मत किया जाना आपेक्षित है।

अतः उक्तानुसार जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

District Magistrate
Dehradun.

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक- 362/ग्रा०शिलिंग-अनु०/2025 दिनांक 26.3.2025 विषय मा० हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 752/2023 डॉ० राजेश्वर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में प्रेषित है। उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त पत्र के द्वारा याची के द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति के सन्दर्भ में रिजर्व फोरेस्ट भूमि तथा राजस्व विभाग की कितनी भूमि है की आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। वाद उक्त में सुनवाई से पूर्व आख्या चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या महोदय की सेवा में सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

1- राजस्व ग्राम आमवाला तरला में स्थित कृष्णा एन्क्लेव जो कि ख०नं० 146,147 से लेकर 133,134,125 में बसे हुए हैं। उक्त कॉलोनी वासी तपोवन एन्क्लेव से जाने वाले मार्ग से जुड़ने हेतु रास्ते की मांग कर रहे हैं।

2. उक्त कृष्णा एन्क्लेव के निवासी जन की आबादी संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है। उक्त आबादी तपोवन एन्क्लेव वाले मुख्य मार्ग तक जाने के लिए जिस कच्ची पगडण्डी का प्रयोग करते हैं वह नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी है। जिसका ख०सं० 120 मि० 0.0200 है० है तथा उक्त भूमि जंगल साल (श्रेणी 5.3) के रूप में दर्ज अभिलेख है।

3. उक्त कृष्णा एन्क्लेव के तीन तरफ पूरब, पश्चिम व दक्षिण दिशा में साल प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित घना जंगल है। जिसका ख०सं० ~~102~~ 102स/4.040 अन्य बंजर (श्रेणी 5.3 इ, 102द मि० 12.4180 है० रिजर्व फोरेस्ट के रूप में दर्ज है। जिसे उक्त नजरी नक्शे में काली रंग से दर्शाया गया है। उक्त भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि ख०सं० 120 से पश्चिम दिशा में स्थित है।

4. रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि ख०सं० 120 से पूरब दिशा में ख०नं० 220क मि० 5.1530 है० रिजर्व फोरेस्ट, 220ख मि० 1.4200 अन्य बंजर, 220ग/2.8610 जंगल साल व 220द मि० 1.730 है० भूमि जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज अभिलेख है। जो कि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है। जिसमें मौके पर सदाबहार जंगल साल प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं।

5. उक्त कृष्णा एन्क्लेव जिस स्थान पर पुख्ता मार्ग खोले जाने की मांग कर रहे हैं उक्त भूमि छोटी पगडण्डी के रूप में चल रही है। उक्त पगडण्डी दोनों ओर से घने वृक्षों से आच्छादित है, जिस पर वर्तमान समय में पूर्ण स्वामित्व वन विभाग का है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का रास्ता चौड़ीकरण का कार्य वन विभाग द्वारा नियम सम्मत किया जाना अपेक्षित है।

पत्र में चाही गयी सूचना बिन्दुवार रूप से प्रेषित है।

संलग्नक: नजरी नक्शा, पूर्व में प्रेषित आख्या, नकल खतौनी।

District Magistrate
Dehradun.

26.3.2025
जगदीश कुमार
राजस्व उप निरीक्षक

26.3.2025
तहसील सदर देहरादून

Scanned with CamScanner

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं० मेमो/ग्रामीण सीलिंग 2025 दिनांक 25 जून 2025, विषय- मा० हरित राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं० 753/2023 डॉ० राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनु में श्रीमान जिलाधिकारी महोदया देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 25.6.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे स्थान वन भेज वार्ड नं० आमवाला तरला का स्थलीय निरीक्षण हेतु स्थान एवं समय निर्धारित किया गया। उक्त नियत स्थान एवं समय पर श्रीम जिलाधिकारी महोदया स्वयं उपस्थित हुई तथा सम्बन्धित समस्त विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित हुए साथ ही ग्राम- आमवाला तरला के स्थानीय नागरिक भी उपस्थित हुए उपस्थिति पत्र साथ में संलग्न है।

ग्राम- आमवाला तरला में स्थित कृष्णा एन्क्लेव निवासी अपने आवासीय भवनों में आने-जाने के लिए सहस्रधारा मार्ग पर स्थित मधुबन एन्क्लेव के पास से पूर्व से ही रास्ता प्रयोग करते आ रहे हैं। उक्त कृष्णा एन्क्लेव की आबादी तीन तरफ से रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि से घिरी हुई है। जिसमें साल प्रजाति के घने वृक्ष मौके पर खड़े हुए हैं। कृष्णा एन्क्लेव के निवासी इसी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि से दक्षिण दिशा में लगती हुई तपोवन एन्क्लेव नाला पानी रोड से रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि ख० सं० 131 से रास्ते की मांग कर रहे हैं। इस मार्ग के खुल जाने से कृष्णा एन्क्लेव के निवासीगण तपोवन एन्क्लेव से गुजरने वाले नाला-पानी मार्ग से मिल जाने के पश्चात मुख्य मार्ग से जुड़ जाना चाहते हैं। जो कि अपेक्षाकृत छोटी दूरी का मार्ग है। जबकि उक्त भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि है। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 25.6.2025 को उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया साथ ही स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्या से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की गयी।

उक्त प्रकरण में निर्णय उच्चाधिकारियों के स्तर से ही लिया जाना अपेक्षित है। आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

[signature] 2025
रा० उपनिरीक्षक
[illegible]

[signature] 26.6.25

District Magistrate
Dehradun.

Scanned with CamScanner

10

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

ग्राम का नाम : आमवाला तरला   परगना : (परवादून)   तहसील : देहरादून   जनपद : देहरादून   फसली वर्ष : 1422-1427   भाग : 1   खाता संख्या : 02128

1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान			भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि ।							
अन्य बंजर / /				1000 1001 1002 1003 1004 1006ख 1007 1008 1009 1010 1011	0.0150 0.0150 0.0180 0.0150 0.0350 0.0210 0.0450 0.0250 0.0250 0.0250 0.0200	आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी(प्र.) देहरादून के आदेश संख्या 165/डी.एल.आर.सी 2005 दिनांक 17 दिसम्बर 2005 के अनुसार निम्न प्रकार भूमि अमलदरामद के आदेश हेतु।क्रसं. ग्राम का नाम ख.न. रकबाजिसका नाम खारिज किया जाना है जिसके नाम भूमि अंकित की जानी है1- आमवाला तरला ग्राम सभा ननूरखेड़ा शिक्षा विभाग उत्तरांचल शासन 445ख/2 0.1000 , 493 0.0500, 495/ 0.0500, 496/ 0.1000 , 643/ 0.0600, 642/1.8550, 22क/0.1100 727ख/0.0500 व 445/1ग/0.1000 ग्राम सभा ननूरखेड़ा एन.सी.सी.काम्पलैक्स व सर्विस अकादमी की स्थापना हेतु परवाना अपर जिलाधिकारी (प्र0) दे0 दून के पत्र संख्या मेमो/ डी0 एल0 आर0 सी0 दिनाक 27-10-06 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 363(1)/18(1)/2006 दिनाक 5 मई 2006 एवं शासनादेश	

1025क - 4.040 अन्य बंजर
1027 - 12.4180 रिजर्व फॉरेस्ट
120 - 0.0200 मंगल लाल (रास्ता)
2206 5.1530 रिजर्व फॉरेस्ट
2205 1.4200 अन्य बंजर
2202 2.8680 मंगल लाल
2207 1.2320 मंगल [illegible]

District Magistrate
Dehradun.

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:50 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India

ग्राम संख्या : 0452

11

खाता विवरण

ग्राम का नाम : आमवाला तरला   परगना : (परवादून)   तहसील : देहरादून   जनपद : देहरादून   फसली वर्ष : 1422-1427   भाग : 1   खाता संख्या : 02128

1	----2----	3	4	5	6	7-12	13
				1032	0.0500	मार्च 2016 के द्वारा श्री राज्यपाल महोदय द्वारा तहसील सदर के ग्राम आमवाला तरला के खाता सं0 1664 के खसरा नं0 102 अ रकबा 4.0400 है0 मध्ये 2.500 है0 श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-02 के प्राविधानो के अधीन तथा आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहकति/अनापत्ति के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकारण देहरादून को निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धो के अधीन सशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है, 1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो, 2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन की सहमति प्राप्त हो चुकी हो, 3. हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाये जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, 4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग मे नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग मे स्वतः ही निहित हो जायेगी, 5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे	
				1033	0.0250		
				1034	0.0400		
				1036ग	0.0320		
				1038	0.0350		
				1039	0.0200		
				1049ग	0.0390		
				1056ख	0.0350		
				1057ख	0.1200		
				1068घ	0.1050		
				12क	0.1500		
				185ग	0.2500		
				1क	1.1160		
				220घ	1.4200		
				485ख	0.0240		
				505	0.0500		
				506	0.0350		
				5ग	0.6960		

District Magistrate
Dehradun.

Disclaimer:यह उद्दरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:50 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

12

खाता विवरण

ग्राम का नाम : आमवाला तरला परगना : (परवादून) तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1 खाता संख्या : 02128

1	2	3	4	5	6	7-12	13
				922	0.0400	आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति मे प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा, परवाने से. कार्यालय जिलाधिकारी दे.दून संख्या 621/12ए-104 (2014-2017)डी0एल0आर0सी0 दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अनुसार सचिव राजस्व विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के शासनादेश संख्या 6077/XVIII(II)/ 2015-18(16)/2013 दिनांक 22 दिसम्बर 2015 के द्वारा ग्राम आमवाला तरला तहसील सदर जनपद देहरादून के खाता सं0 2128 के खसरा नं0 102 झ मध्ये 0.500 है0 श्रेणी -5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/अनापत्ति के क्रम मे तथा शासनादेश सं0 258/16(1)/73-राजस्व-1 दिनांक 9-5-1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या 260/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 15-2-2002 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50(39)-2015/2014 दिनांक 9-7-15 में निहित निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन मसूरी देहरादून विकास	
				923	0.0600		
				924	0.0300		
				925	0.0300		
				981	0.0200		
				982	0.0200		
				989	0.0320		
				990ख	0.0180		
				991	0.0200		
				642	1.9850		
				643	0.0600		
				722क	0.1100		
				727 क	0.0500		

District Magistrate
Dehradun.

isclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

ata Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:50 IST 2025

echnical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

ontents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

खाता विवरण

ग्राम का नाम : आमवाला तरला परगना : (परवादून) तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1 खाता संख्या : 02128

1	2	3	4	5	6	7-12	13
						करते है, को संशोधित पढा व समझा जाए, शासनादेश संख्या 2725/15 दिनांक 18-3-2015 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा तथा अन्य प्राविधान यथावत रहेगें, 2. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो, 3. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन की सहमति प्राप्त हो चुकी हो, 4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लायी जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, 5. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग मे नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग को स्वतः ही निहित हो जायेगी, 6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी, 7. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा, 8. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण	

District Magistrate
Dehradun.

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:50 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

खाता विवरण

ग्राम का नाम : आमवाला तरला   परगना : (परवादून)   तहसील : देहरादून   जनपद : देहरादून   फसली वर्ष : 1422-1427   भाग : 1   खाता संख्या : 02128

1	2	3	4	5	6	7-12	13
योग				78	14.3870		

Disclaimer: यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:50 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

ग्राम का नाम : [illegible] परगना : (परवादून) तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1 खाता संख्या : 02126

1 ——2—— 3	4	5	6	7-12	13
[illegible] का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 5-3-[illegible]-1 / जो वन [illegible] विभाग के प्रबन्ध में हों (इसमें भूतपूर्वनिजी वन भी सम्मिलित है जो वन विभाग को सौंप दियेहो)					
[illegible] /		103	0.0100	वाद सं. 34/ वन बन्दोबस्त अधि./9-1-04 सिविल अपील सं. 8580/94 तथा 9097/95 माननीय सर्वोच्च न्यायालय/18-2-03 विज्ञप्ति सं. 7208/14ख 20(263/69) दिनांक 27-8-1970 आदेश हुआ कि भूमि खसरा न. 43/33.38, 87/1.09, 110मि./1.11, 118/0.20, 119/1.08, 120/0.48, 121/0.39, 138/11.03, 35/0.95, 90/2.00 कुल रकबा 51.71 एकड भूमि रिजर्व फोरेस्ट घोषित किया जाता है । ह.लेख./10-2-04	
		104	0.0100		
		105	0.0100		
		106	0.0050		
		107	0.0050		
		108	0.0050		
		109	0.0100		
		110	0.0150		
		111	0.0050		
		112	0.0200		
		113	0.1100		

District Magistrate
Dehradun.

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:17 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

16

खाता विवरण

ग्राम का नाम : अम्बवाला तरला   परगना : (परवादून)   तहसील : देहरादून   जनपद : देहरादून   फसली वर्ष : 1422-1427   भाग : 1   खाता संख्या : 02126

1 ——— 2 ——— 3	4	5	6	7-12	13
		229	0.0100		
		235	0.0200		
		236	0.0300		
		242	0.0100		
		245	0.0900		
		255	0.0200		
		267	0.2400		
		485क	0.0300		
		750	0.0200		
योग		38	3.9250		

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रानिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Mar 26 16:57:17 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

...लाधिकारी
सदर (देहरादून)

...यें,
संलग्न पत्र सं०- 424/ ग्रा०सी०सनु०/ 2025 दिनांक- 18-07-2025
कार्यालय जिलाधिकारी - देहरादून द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसमें मा०
राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्र०753/
2023 डा० राजेन्द्र बहुगुणा बनाम अन्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता
अंजलि राजपूत अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली
द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक- 03.07.2025 पर अपेक्षित कार्यवाही की
अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है।

326
T(R)

राजस्व ग्राम - आमवाला तरला में स्थित एक आवासीय कालोनी
कृष्णा एन्क्लेव है। जिसमें वर्तमान समय में लगभग- 40-50 परिवार निवास
करते है। जो कि निजी नाप की भूमि / P.A.C.L भूमि ख०सं० 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 आदि में
निवासरत है। उक्त आवासीय कालोनी कृष्णा एन्क्लेव अपने पूरब, पश्चिम
और दक्षिण दिशा में रिजर्व फोरेस्ट की भूमि ख०सं० 102 इ/ 12.4180 हे०
व 220 क/ 5.1530 हे० से घिरी हुई है। जिसमें पुराने एवं घने साल प्रजाति
का सघन वन है। उक्त आवासीय कालोनी का आवागमन हेतु जो मार्ग
चल रहा है वह कालोनी के उत्तर दिशा में स्थित एकता विहार से होकर
सहस्त्रधारा मार्ग पर मिलता है। इसी मार्ग से कृष्णा एन्क्लेव के निवासी आवागमन
करते है।

उक्त कृष्णा एन्क्लेव के निवासी अपनी कालोनी से नजदीक ही चल रहे
मार्ग तपोवन नाला पानी मार्ग से जुड़ना चाहते है। परन्तु उक्त सभी भूमि
रिजर्व फोरेस्ट की भूमि ख०सं० 120 इ व 220 क है। उक्त भूमि से
वर्तमान समय में एक कच्ची पगडन्डी नुमा रास्ता ख० नं० 121 मे 0.0800 है।
उक्त ख०सं० 121 भी राजस्व अभिलेखों में रिजर्व फोरेस्ट की भूमि है। उक्त
सभी भूमि पर साल प्रजाति के घने वृक्ष खड़े हुए है। इसी भूमि से
कृष्णा एन्क्लेव के निवासी रास्ता खोले जाने की मांग कर रहे है।

कृष्णा एन्क्लेव के निवासियों को रिजर्व फोरेस्ट की भूमि पर
रास्ता दिये जाने की समस्त कार्यवाही वन विभाग के स्तर से ही किया जाना
अपेक्षित है। रास्ते के रूप में छोड़े जाने वाली भूमि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि है
जो कि सम्पत्ति ग्राम समाज अथवा सम्पत्ति नगर निगम की भूमि नहीं है। उक्त
रिजर्व फोरेस्ट की भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन अथवा वन भूमि में खड़े
पिलर्स का क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी जानकारी भी वन विभाग से ही दिया जाना
अपेक्षित है। आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : पूर्व में प्रेषित आख्या 28.06.24.

[signature] ...7.2025
जगदीश कुमार
राजस्व उप निरीक्षक

[signature]
25 ...
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-रायपुर

District Magistrate
Dehradun.

रा० नि० की आख्या ...
मेधेदन की सेवा में सादर
सम्प्रेषित। तहसीलदार सदर

...लाधिकारी
...सदर (देहरादून)

...य,

संलग्न पत्र सं०-424/ग्रा०सी०अनु०/2025 दिनांक-18-07.202[5] कार्यालय जिलाधिकारी-देहरादून द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्र०753/2023 डा० राजेन्द्र बहुगुणा बनाम अन्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अंजलि राजपूत अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक-03.07.2025 पर अपेक्षित कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है।

326 / I(R)

राजस्व ग्राम आमवाला तरला में स्थित एक आवासीय कालोनी कृष्णा एन्क्लेव है। जिसमें वर्तमान समय में लगभग-40-50 परिवार निवास करते है। जो कि निजी नाप की भूमि / P.A.C.L भूमि ख०सं० 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137 आदि में निवास रत है। उक्त आवासीय कालोनी कृष्णा एन्क्लेव अपने पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में रिजर्व फोरेस्ट की भूमि ख०सं०1023/12.4180 हे० व 220क/5.1530 हे० से घिरी हुई है। जिसमें पुराने एवं घने साल प्रजाति का सघन वन है। उक्त आवासीय कालोनी का आवागमन हेतु जो मार्ग चल रहा है वह कालोनी के उत्तर दिशा में स्थित एकता विहार से होकर सहस्रधारा मार्ग पर मिलता है। इसी मार्ग से कृष्णा एन्क्लेव के निवासी आवागमन करते है।

उक्त कृष्णा एन्क्लेव के निवासी अपनी कालोनी से नजदीक ही चल रहे मार्ग तपोवन नाला पानी मार्ग से जुड़ना चाहते है। परन्तु उक्त सभी भूमि रिजर्व फोरेस्ट की भूमि ख०सं० 1023 व 220क है। उक्त भूमि से वर्तमान समय में एक कच्ची पगडन्डी नुमा रास्ता ख० नं० 12 र० 0.0800 है। उक्त ख०सं० 12 भी राजस्व अभिलेखों में रिजर्व फोरेस्ट की भूमि है। उक्त सभी भूमि पर साल प्रजाति के घने वृक्ष खड़े हुए है। इसी भूमि से कृष्णा एन्क्लेव के निवासी रास्ता खोले जाने की मांग कर रहे है।

कृष्णा एन्क्लेव के निवासियों को रिजर्व फोरेस्ट की भूमि पर रास्ता दिये जाने की समस्त कार्यवाही वन विभाग के स्तर से ही किया जाना अपेक्षित है। रास्ते के रूप में छोड़े जाने वाली भूमि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि है जो कि सम्पत्ति ग्राम समाज अथवा सम्पत्ति नगर निगम की भूमि नहीं है। उक्त रिजर्व फोरेस्ट की भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन अथवा वन भूमि में खड़े पिलर्स या क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी जानकारी भी वन विभाग से ही दिया जाना अपेक्षित है। आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: पूर्व में प्रेषित आख्या 28.06.24.

प्रेषित
25.7.2025
जगदीश कुमार
राजस्व उप निरीक्षक

रा० निरी० को जाँच आख्या
महोदय की सेवा में सादर
सम्प्रेषित। ...

District Magistrate
Dehradun.

25 ...
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-रायपुर

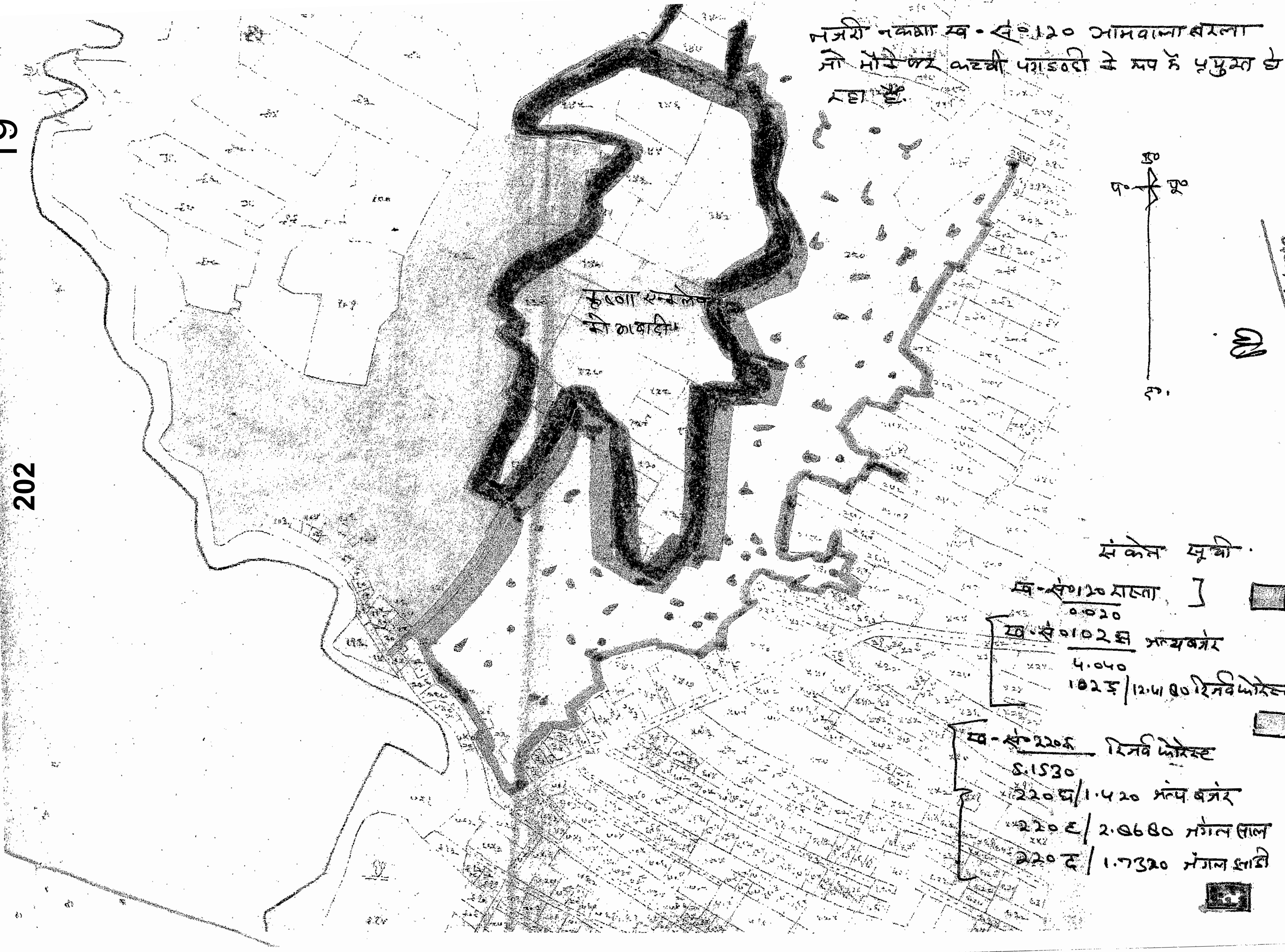

District Magistrate
Dehradun.

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

पत्र सं0 1849 /एसपीए-रिपोर्ट/2025 देहरादून दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषयः- **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 753/2023 डा. राजेश बहुगुणा बनाम अन्य के सम्बन्ध मे।**

सेवा मे,

प्रभारी अधिकारी (सीलिंग)
कलेक्ट्रेट देहरादून

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं. 424/ग्रा.सी.अनु./2025 दिनांक 18.07.2025 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 753/2023 डा. राजेश बहुगुणा बनाम अन्य के सम्बन्ध मे विद्वान अधिवक्ता अंजलि राजपूत अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 03.07.2025 पर अपेक्षित कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। उक्त निर्देशों के अनुपालन मे प्रश्नगत प्रकरण मे तहसीलदार सदर देहरादून से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जिसमे उल्लेख किया गया है कि-

1 - प्रश्नगत क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के रायपुर रेंज की रायपुर प्रथम बीट के लाडपुर कक्ष संख्या 4ए0 (आरक्षित वन क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। उक्त आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा नालापानी तपोवन रोड से आमवाला तरला को जाने हेतु एक कच्चा अस्थायी पैदल मार्ग पूर्व से विद्यमान है। उक्त स्थल की 2005 से वर्तमान तक मौजूद विभिन्न समय अवधि की गूगल सेटेलाईट इमेज से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कच्चा मार्ग पूर्व से ही विद्यमान था। प्रश्नगत कच्चे मार्ग का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन के साथ-साथ वन कर्मियों द्वारा वनाग्नि, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा/गश्त आदि हेतु भी वर्षो किया जाता रहा है।

2 - राजस्व ग्राम आमवाला तरला मे स्थित कृष्णा एन्क्लेव जो कि भूमि खसरा नं. 122 से 137 तक व 146, 147 मे निवासरत है, उक्त कॉलोनी वासी वर्तमान समय मे आने-जाने हेतु सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थित मधुवन एन्क्लेव के पास से चल रहे मार्ग का प्रयोग करते चले आ रहे है। उक्त कृष्णा एन्क्लेव की आवादी तीन ओर से घने वन से घिरी हुई है। उक्त कॉलोनी वासी उक्त कच्चे मार्ग का प्रयोग पैदल आवागमन हेतु करते है।

3 - उक्त कृष्णा एन्क्लेव के निवासी वर्तमान समय मे तपोवन एन्क्लेव नालापानी मुख्य मार्ग तक जाने के लिए कच्ची पगडंडी का प्रयोग कर रहे है वह खसरा नं. 120 क्षेत्रफल 0.0200है. जंगल साल (श्रेणी-5-3) के रुप मे दर्ज अभिलेख है जो कि सम्पत्ति वन विभाग है।

4 - उक्त कृष्णा एन्क्लेव तीन तरफ पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशा मे घने वन से घिरा हुआ है जिसमे साल प्रजाति के वृक्ष खडें हुए है। उक्त भूमि खसरा नं. 102झ/4.040है. अन्य बंजर (श्रेणी 5-3ड) व 102ड/12.418है. जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के रुप मे अभिलेखों मे दर्ज है। उक्त भूमि पगडंडी के रुप मे प्रयुक्त हो भूमि के पश्चिम और उत्तर दिशा मे स्थित है तथा तपोवन एन्क्लेव नालापानी मुख्य मार्ग से लगती हुई है।

District Magistrate
Dehradun.

5 - रास्ते मे प्रयुक्त हो रही भूमि खसरा नं. 120 के पूरब दिशा मे खसरा नं. 220क क्षेत्रफल 5.1530है. रिजर्व फॉरेस्ट, 220घ क्षेत्रफल 1.420है. अन्य बंजर व 220ट क्षेत्रफल 2.8680है. जंगल साल व 220द क्षेत्रफल 1.730है. भूमि जंगल झाडी के रुप मे दर्ज अभिलेख है तथा उक्त पगडंडी से पश्चिम दिशा मे खसरा नं. 102द क्षेत्रफल 12.4180है. रिजर्व फॉरेस्ट के नाम दर्ज भूमि है। उक्त सभी खसरा नम्बरान मे सदाबहार जंगल है जिसमे साल प्रजाति के वृक्ष खडें है।

6 - उक्त पैदल कच्चे मार्ग पर किसी प्रकार की वाहनों की आवाजाही नही पायी गयी तथा कच्चे मार्ग मे वाहनो की आवाजाही रोकने हेतु वन विभाग द्वारा खाई खोद कर मार्ग बन्द कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा मे सादर प्रेषित है।

भवदीय

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

District Magistrate
Dehradun.

महोदय,

संलग्न पत्र सं. 424/ग्रा.सी.अनु./2025 दिनांक 18.07.2025 कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधि. नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 753/2023 डा. राजेश बहुगुणा बनाम अन्य के सम्बन्ध मे विद्वान अधिवक्ता अंजलि राजपूत अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधि. नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 03.07.2025 पर अपेक्षित कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध मे बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

1 - प्रश्नगत क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के रायपुर रेंज की रायपुर प्रथम बीट के लाडपुर कक्ष संख्या 4ए0 (आरक्षित वन क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। उक्त आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा नालापानी तपोवन रोड से आमवाला तरला को जाने हेतु एक कच्चा अस्थायी पैदल मार्ग पूर्व से विद्यमान है। उक्त स्थल की 2005 से वर्तमान तक मौजूद विभिन्न समय अवधि की गूगल सेटेलाईट इमेज से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कच्चा मार्ग पूर्व से ही विद्यमान था। प्रश्नगत कच्चे मार्ग का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन के साथ-साथ वन कर्मियों द्वारा वनाग्नि, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा/गश्त आदि हेतु भी वर्षो किया जाता रहा है।

2 - राजस्व ग्राम आमवाला तरला मे स्थित कृष्णा एन्क्लेव जो कि भूमि खसरा नं. 122 से 137 तक व 146, 147 मे निवासरत है, उक्त कॉलोनी वासी वर्तमान समय मे आने-जाने हेतु सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थित मधुवन एन्क्लेव के पास से चल रहे मार्ग का प्रयोग करते चले आ रहे है। उक्त कृष्णा एन्क्लेव की आवादी तीन ओर से घने वन से घिरी हुई है। उक्त कॉलोनी वासी उक्त कच्चे मार्ग का प्रयोग पैदल आवागमन हेतु करते है।

3 - उक्त कृष्णा एन्क्लेव के निवासी वर्तमान समय मे तपोवन एन्क्लेव नालापानी मुख्य मार्ग तक जाने के लिए कच्ची पगडंडी का प्रयोग कर रहे है वह खसरा नं. 120 क्षेत्रफल 0.0200है. जंगल साल (श्रेणी-5-3) के रुप मे दर्ज अभिलेख है जो कि सम्पत्ति वन विभाग है।

4 - उक्त कृष्णा एन्क्लेव तीन तरफ पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशा मे घने वन से घिरा हुआ है जिसमे साल प्रजाति के वृक्ष खडें हुए है। उक्त भूमि खसरा नं. 102झ/4.040है. अन्य बंजर (श्रेणी 5-3ड) व 102ड/12.418है. जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के रुप मे अभिलेखों मे दर्ज है। उक्त भूमि पगडंडी के रुप मे प्रयुक्त हो भूमि के पश्चिम और उत्तर दिशा मे स्थित है तथा तपोवन एन्क्लेव नालापानी मुख्य मार्ग से लगती हुई है।

5 - रास्ते मे प्रयुक्त हो रही भूमि खसरा नं. 120 के पूरब दिशा मे खसरा नं. 220क क्षेत्रफल 5.1530है. रिजर्व फॉरेस्ट, 220घ क्षेत्रफल 1.420है. अन्य बंजर व 220ट क्षेत्रफल 2.8680है. जंगल साल व 220द क्षेत्रफल 1.730है. भूमि जंगल झाडी के रुप मे दर्ज अभिलेख है तथा उक्त पगडंडी से पश्चिम दिशा मे खसरा नं. 102द क्षेत्रफल 12.4180है. रिजर्व फॉरेस्ट के नाम दर्ज भूमि है। उक्त सभी खसरा नम्बरान मे सदाबहार जंगल हैं जिसमें साल प्रजाति के वृक्ष खडें है।

6 - उक्त पैदल कच्चे मार्ग पर किसी प्रकार की वाहनों की आवाजाही नही पायी गयी तथा कच्चे मार्ग मे वाहनो की आवाजाही रोकने हेतु वन विभाग द्वारा खाई खोद कर मार्ग बन्द कर दिया गया है।

अतः उक्त जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा मे सादर प्रेषित है।

25/7/2025
जगदीश कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....

25.7.2025

रा० नि० की जाँच आख्या महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित
25/07/25

District Magistrate
Dehradun.